



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या-1050 / 2010.....जिला.....अलवर.....

उनवान- मैसर्स श्री सुभाषचन्द्र जाट पुत्र श्री जवाहर सिंह, वाहन चालक जरिये जय कैरिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली
बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, बहरोड, वृत्त-भिवाडी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.01.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ कैम्प जयपुर श्री खेमराज-अध्यक्ष</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.जैन तथा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (खेमराज) अध्यक्ष </div>	<p style="text-align: right;">  20/1/17 </p>